

मु0न0 52/2019

पीठासीन अधिकारी:- सुनीता मीना आर.ए.एस
उनवान

राजवती बेवा चेताराम जाति मीना निवासी मण्डेरू तहसील टोडाभीम।

(सायलान)

बनाम

1. अमरसिंह पुत्र जसराम
2. सीताराम पुत्र रामजीलाल
3. मेधराम पुत्र सोमोत्या
जाति मीना निवासी मण्डेरू तहसील टोडाभीम।
4. तहसीलदार टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी।

(गैरसायलान)

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
उपस्थिति:- श्री मदनमोहन शर्मा सायला

निर्णय

दिनांक 31.07.2024

सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम अजीजपुर की आराजी ख0न0 1410/0.04, 1411/0.18, 1412/0.21, 1413/0.06, 1414/0.12, 1415/0.08 कुल कित्ता 06 कुल रकवा 0.69 है0 में सायला बहिस्सा 1/3 की खातेदार काश्तकार दर्ज है सायला ने अपने हिस्से की जमीन पर के.सी.सी. ले रखी है इस प्रकार उक्त आराजीयात में मालिकाना हक है। जिसमें किसी दीगर व्यक्ति का कोई लेना देना नहीं है। जिसमें सायला ने बाजरे की फसल काश्त की है। आराजी ख0न0 1416/1.26 है0 ग्राम अजीजपुर में 1/2 हिस्से की खातेदार है। जिसमें किसी दीगर व्यक्ति का कोई लेना देना नहीं है।

यह है कि वर्णित आराजीयात के हाल ख0न0 साबिक ख0न0 709/1 रकवा 1 बीधा 19 बिस्वा एवं अन्य ख0न0 709/1 मिन एवं ख0न0 710 रकवा 16 बिस्वा एवं खसरा न0 710 मिन न0, एवं ख0न0 711 रकवा 4 बीधा 15 बिस्वा एवं ख0न0 712/1 रकवा 5 बिस्वा से कायम किये हैं।

यह है कि ख0न0 1 रकवा 0.19 है0 गैर मु0 रास्ता जो कि राजस्थान सरकार की आराजी है एवं ख0न0 2 रकवा 0.25 है0 मंदिर श्री कमद खुण्डी जी महाराज की भूमि है जो कि ग्राम तुर्कपुर तहसील टोडाभीम में है ख0न0 1, 2, 4 ग्राम तुर्कपुर से सायला का कोई लेना देना नहीं है। परन्तु सेटलमेन्ट कार्य के दौरान राजस्व कर्मचारियों ने मेरी खातेदारी आराजी ख0न0 1413/0.06, 1415/0.08 जो कि मेरी खातेदारी भूमि ख0न0 1416 के लिये एवं अन्य खेतों पर जाने का रास्ता है जो कि ग्राम अजीजपुर की सरहद के अन्दर है उक्त खेतों की मेड की लाईन को पतला कर दिया, एवं ग्राम अजीजपुर व तुर्कपुर के बीच में साबिक ट्रेस में जो मेड लाईन जो मोटी लाईन है उसको मिटा दिया है।

यह है कि ख0न0 1413/0.06 किस्म गै0मु0रास्ता एवं ख0न0 1415 रकवा 0.08 है0 गै0मु0रास्ता मेरी खातेदारी का निजी रास्ता है। जिसको सायला अपनी खातेदारी की भूमि में जाने के लिये काम में ले रही है जो कि ग्राम अजीजपुर में है, तुर्कपुर में नहीं है। तुर्कपुर में ख0न0 1 राजकीय भूमि 0.19 है0 रास्ता रिकार्ड जमाबन्दी दर्ज है। जो कि तुर्कपुर का है। परन्तु गैरसायलान



(सुनीता मीना)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-गंगापुर सिटी

ख0न0-52/2019
ग्राम अजीजपुर में भेरी आराजी ख0न0 1413, 1415, 1416 को गैरसायलान हड़पना चाहते हैं। भेरी आराजी पर जबरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं। और उसको जबरदस्ती तुर्कपुर में मिलाना चाहते हैं। सेटलमेंट कर्मचारियों द्वारा ग्राम अजीजपुर एवं तुर्कपुर की मोटी लार्डन भेड की रेखा हो मिटाने के कारण भेरे ख0न0 1413 एवं ख0न0 1415 को तुर्कपुर के ख0न0 1 में मिलाना चाहते हैं। इस कारण भेरे ख0न0 1413, 1415 ग्राम अजीजपुर एवं ख0न0 1 ग्राम तुर्कपुर में बीच में माननीय न्यायालय जाँच करवाकर एवं सीमाज्ञान करवाकर पुराने ट्रेस के अनुसार सीमा निर्धारण कर हाल ट्रेस की मोटी लार्डन साबिक ट्रेस रिकार्ड के अनुसार हाल नवशा ट्रेस में लाल लार्डन खिचवाना आवश्यक व न्यायसंगत है।

बॉका दिनांक 19.07.2019 का है कि गैरसायल न0 1 ता 3 हाथों में फावड़े व पराल लेकर आये और बोले कि हमने पटवारी तहसीलदार से पूछ लिया है, हम जबरदस्ती तेरे खेत ख0न0 1412, 1413, 1415, 1416 में मिट्टी डलवाकर दीवार बनवायेगे। तेरे खेतों में बाजरे की फसल को बर्बाद करेगे। जबकि गैरसायलान का वर्णित आराजीयात से कोई लेना देना नहीं है। गैरसायलान आदलत भूमाफिया किस्म के लोग है जिन्होंने मंदिर कदमखुण्डी की जमीन पर भी कब्जा कर रखा है। भेरे गैरसायलान से काफी विनती की लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। एवं भेरी आराजी ख0न0 1413, 1415, 1416 की डोल-मेड को हड़पना चाहते हैं। इस प्रकार गैरसायलान को पाबन्द किया जाना आवश्यक है। इस कारण यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन है कि गैरसायलान को पाबन्द फरमाया जावे कि सायलान के कब्जे काश्त की आराजी ग्राम अजीजपुर की आराजी ख0न0 1410/0.04, 1411/0.18, 1412/0.21, 1413/0.06, 1414/0.12, 1415/0.08, 1416/1.26 कुल कित्ता 07 कुल रकवा 1.95 है0 में सायला के हिस्से की आराजी के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की मजाहमत मदाखलत नहीं करे, नाही किसी अन्य से करावे, रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायल न0 04 तहसीलदार टोडभीम उपस्थित, गैरसायलान न0 1 ता 3 ने दिनांक 13.09.2019 को जरिये वकालत उपस्थिति दर्ज करवाकर वकालतनामा पेश किया, वकालत नामा पेश होने के उपरान्त दिनांक 22.08.2023 तक जबाब पेश नहीं किया गया। तथा अनुपस्थित न्यायालय रहने से गैरसायलान न0 1 ता 3 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

सायला वकील की बहस सुनी गई। सायला वकील ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का दोहरान करते हुये कथन किया कि ग्राम अजीजपुर की आराजी ख0न0 1410/0.04, 1411/0.18, 1412/0.21, 1413/0.06, 1414/0.12, 1415/0.08 कुल कित्ता 06 कुल रकवा 0.69 है0 में सायला बहिस्सा 1/3 की, आराजी ख0न0 1416/1.26 है0 ग्राम अजीजपुर में 1/2 हिस्से की खातेदार है। जिसमें किसी दीगर व्यक्ति का कोई लेना देना नहीं है। वर्णित आराजीयात के हाल ख0न0 साबिक ख0न0 709/1 रकवा 1 बीघा 19 बिस्वा एवं अन्य ख0न0 709/1 मिन एवं ख0न0 710 रकवा 16 बिस्वा एवं खसर न0 710 मिन न0, एवं ख0न0 711 रकवा 4 बीघा 15 बिस्वा एवं ख0न0 712/1 रकवा 5 बिस्वा से कायम किये है। ख0न0 1 रकवा 0.19 है0 गैर मु0 रास्ता जो कि राजस्थान सरकार की आराजी है एवं ख0न0 2 रकवा 0.25 है0 मंदिर श्री कमद खुण्डी जी महाराज की भूमि है जो कि ग्राम तुर्कपुर तहसील टोडभीम में है ख0न0 1, 2, 4 ग्राम तुर्कपुर से सायला का कोई लेना देना नहीं है। परन्तु सेटलमेंट कार्य के दौरान राजस्व कर्मचारियों ने सायला के खेतों की भेड की लार्डन को पतला कर दिया, एवं ग्राम अजीजपुर व मुर्कपुर के बीच में साबिक ट्रेस में जो भेड लार्डन जो मोटी लार्डन है उसको मिटा दिया है। गैरसायलान ग्राम अजीजपुर में भेरी आराजी ख0न0 1413, 1415, 1416 को गैरसायलान हड़पना चाहते हैं। भेरी आराजी पर जबरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं। और उसको जबरदस्ती तुर्कपुर में मिलाना चाहते हैं। इसलिये सायला द्वारा प्रस्तुत



(सुनीता भीना)

मु0न0:-52/2019

प्रार्थना पत्र अरथाई निषेधाज्ञा स्वीकार कर वर्णित आराजीयात मे सायला के कब्जे काशत की आराजीयात मे मजाहमत मदाखलत नही करे।

विद्वान वकील की बहस पर गहनता से मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली मे शामिल ग्राम अजीजपुर की जमाबन्दी सम्वत 2076-79 के खाता न0 240 मे कुल कित्ता 6 कुल रकवा 0.69 है0 सायला 1/3 हिस्से की तथा खाता संख्या 255 मे कुल कित्ता 1 कुल रकवा 1.26 हे0 मे सायला 1/2 हिस्से की खातेदार काशतकार दर्ज रिकार्ड है। शेष हिस्से मे अन्य सहखातेदार काशतकार दर्ज रिकार्ड है। सायला द्वारा प्रार्थना पत्र अरथाई निषेधाज्ञा के साथ प्रस्तुत वादपत्र बावत स्थायी निषेधाज्ञा खारिज किये जाने से इस प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नही है इसलिये सायला द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अरथाई निषेधाज्ञा अस्वीकार किया जाता है।

अतः सायला द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अरथाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 31.07.2024 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुनाया मीना)

उपखण्ड अधिकारी सुनाया मीना महायक कलक्टर
न्यायालये सुपरीषद अजिमेरी, रां पापुसहसिंह अजमेरी
दोड्डाभीम, जिला-गंगापुर सिटी